एसएमई क्षेत्र के लिए पॉलिसियाँ

ईसीजीसी ने दिनांक 4 जुलाई 2008 से केवल एसएमई क्षेत्र इकाई के लिए पॉलिसी शुरू की है। यह पॉलिसी, विशेष रूप से एसएमई क्षेत्र को आसान प्रशासनिक और परिचालन सुविधा प्रदान करती है। एसएमई पॉलिसी की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं;

लघु एवं मध्यम निर्यातक पॉलिसी की विशेषताएँ :-

संख्या	विवरण	ब्यौरा
1.	पॉलिसी अवधि	12 माह
2.	प्रोसेसिंग शुल्क	1000 रु.
3.	साख सीमा शुल्क	कुछ नहीं
4.	विवेकाधीन सीमा	कुछ नहीं
5.	घोषणाएँ	कुछ नहीं
6.	प्रीमियम	5000 रु.
7.	अधिकतम हानि सीमा	10 लाख रु.
8.	एकल हानि सीमा	3 लाख रु.
9.	अतिदेय की रिपोर्ट	देय तिथि से 60 दिन
10.	प्रतीक्षा अवधि	देय तिथि से दो माह अथवा देय तिथि में विस्तार
11.	रक्षा का प्रतिशत	90%

यह पॉलिसी विनिर्माण गतिविधियों से जुड़े निर्यातकों के लिए हैं जिन्होंने संयंत्र और मशीनरी में निवेश किया हैं अथवा निर्यात सेवा से जुड़े निर्यातकों के लिए हैं जिन्होंने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार उपकरणों में निवेश किया हैं।

यह पॉलिसी एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार योग्यता प्राप्त निर्यातक को प्राप्त निर्यातक को प्रदान की जा सकती हैं। यह पॉलिसी प्राप्त करने के लिए इच्छुक निर्यातक को नामित प्राधिकारी ज़िला उद्योग केंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यह पॉलिसी उन निर्यातकों के लिए नहीं है जो केवल व्यापार संबंधी गतिविधियों से जुड़े हैं।